यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
प्रकरण संख्या : 95/2020
उनवान : सरकार जरिये कैलाश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. यादराम पुत्र फूलचन्द गुर्जर, बबेडी, तहसील बानसूर, जिला जयपुर।
2. मायाराम पुत्र बिरधीचन्द ग्राम मोला हेडा तहसलील कोटपूतली (ट्रक चालक)

र्णय दिनांक : 24.08.2022
धिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक कैलाश अग्रवाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.01.2010 को ग्राम गाहेडा तह. कोटपूतली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं मय बैग कुल 50 टल गेहूं (बेग 91 मय बारदाना)+ 25 बैग खाली एवं गेहूं के परिवहन हेतु उपयोग लेया गया ट्रक RJ-32-G-1020 को जब्त किया गया। अप्रार्थी यादराम के पास शुदा गेहूं का कोई बिल पर्चा नहीं मिला तथा यादराम ने गेहूं के बारे में कोई ोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में र्द मौका, फर्द रिकॉर्ड, फर्द अधिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर वेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा -ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये ये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 03.02.2010 को कालतनामा पेश हुआ। ट्रक RJ-32-G-1020 को दिनांक 03.02.2010 को रिलीज रने के आदेश जारी किये गये। दिनांक 07.10.2014 को अप्रार्थी का जवाब बंद या गया। प्रकरण दिनांक 22.12.2014 को बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय क पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय त में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित । प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती, का पर्चा आदि का हवाला देते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन या। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, फर्द जब्ती, मौका पर्चा, बहस एवं अन्य दस्तावेजी क्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 15.01.2010 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं मय बैग कुल 50 क्विंटल (बेग 91 मय रदाना)+ 25 बैग खाली ट्रक RJ-32-G-1020 को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा ब्त सामग्री व वाहन की वैधता के संबंध में मौंके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं रवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थी द्वारा र्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का अवैध व्यापार/काला बाजारी की जा रही थी। सी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई य दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त गेहूं मय बैग कुल क्विंटल गेहूं (बेग 91 मय बारदाना)+ 25 बैग खाली एवं ट्रक RJ-32-G-1020 को जसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि ब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना पोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल म्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Collector & Add. District Magistrate-III • JAIPUR •